




### प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

राज्य में गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अन्तर्गत पी.एच.सी. इस्लामपुर, जिला-झुन्झुनू (राज.) के External Assessment हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पी.आई.पी. वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट मद 13.1.2 (पूर्व बजट मद B15.2.5) में अनुमोदित राशि रूपये 1,00,000/- की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतत् द्वारा जारी की जाती है। इस सम्बन्ध में External Assessment हेतु आने वाले Assessors के लिए आवश्यक व्यवस्था किये जाने हेतु व्यय संलग्न गाइडलाइन के अनुसार किया जाना एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र 7 दिवस में स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस सैल (मेल आईडी Email-kayakalp.raj@gmail.com) पर एवं राज्य वित्त अनुभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

राशि का आहरण एवं व्यय NRHM flexipool से किया जावें एवं आवंटित बजट की सीमा में ही किया जावें।


संलग्न:- गाईडलाईन

  
शासन सचिव  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम  
दिनांक:- 18/10/2018

क्रमांक:- F 50 (1) NHM/QA/2018/582

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
2. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
3. निदेशक वित्त ।
4. स्टेट नोडल ऑफिसर, क्वालिटी एश्योरेंस एवं कायाकल्प एन.एच.एम.।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक।
6. संयुक्त निदेशक जोन जयपुर।
7. एस.एफ.एम. (SFM)।
8. कन्सलटेन्ट प्लान।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनू को भेजकर लेख है कि उक्त External Assessment हेतु वे नोडल अधिकारी होंगे।
10. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) झुन्झुनू को भेजकर लेख है कि उक्त External Assessment में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का सहयोग करेंगे।
11. जिला कार्यक्रम प्रबंधक झुन्झुनू।
12. प्रभारी सर्वर रूम।

  
परियोजना निदेशक  
एनएचएम

## Cost of External Assessment

Head	Unit Cost	Number of Participant	Days	Amount (in INR)
Travel Cost of Assessors (economy class air-fare as per actuals)	20000	2		40000
Honorarium for External assessors	5000	2	2	20000
Boarding & Lodging	4000	2	3	24000
Local Transport	2000	1	3	6000
<b>Sub Total</b>				<b>90,000</b>
Contingency	10000			10000
<b>Total</b>				<b>1,00,000/-</b>

नोट:- भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार सरकारी अधिकारियों को Honorarium रुपये 3000/- प्रति दिन एवं गैर सरकारी अधिकारियों को रुपये 5000/- प्रति दिन दिया जाना सुनिश्चित करें।